मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 5-1/77/3/1 भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 1977
9 आश्विन 1899

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर (मध्य प्रदेश)

विषयः- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के साथ शासकीय सेवकों का व्यवहार ।

x=x=x

शासन के ध्यान में यह आया है कि यद्यपि कानून के द्वारा समाज से अस्पृश्यता समाप्त की जा चुकी है फिर भी प्रायः यह देखा जाता है कि व्यवहारिक रूप में अभी भी पिछड़े जाति के व्यक्तियों के साथ पूर्ण रूप से समानता का व्यवहार नहीं होता है । इस प्रकार के भेदभाव को दूर करने में शासकीय सेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है । यदि शासकीय सेवक अपने व्यवहार में पिछड़े जातियों के व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करें तो अन्य व्यक्तियों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और इस सामाजिक बुराई को जल्दी समाप्त किया जा सकेगा ।

2/ जब भी शासकीय अधिकारी / कर्मचारी, जिनके कार्य का संबंध हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों के साथ किसी न किसी रूप में आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय दौरे पर जाते है, तो उनका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह होगा कि उन्हें हरिजन तथा पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की बस्तियों में जाकर मौके पर ही उनसे मिल कर उनकी समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए और उनके निवारण के लिए तुरंत आवश्यक कार्यवाई करनी चाहिए ।

3/ शासकीय सेवकों को शासकीय दौरे में जब भी जनता से किसी जन कार्य के संबंध में विचार विमर्श या चर्चा करना पड़े, या जब भी वहां की जनता उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर सहायतार्थ आए तब उन्हें इस बात को और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के जो व्यक्ति आते है उनके साथ वे समानता का व्यवहार करें तथा उन्हें भी अन्य नागरिकों के साथ समानता से बैठने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे वहां उनके विरुध्द किसी प्रकार की हीन भावना परिलक्षित न हो ।

::::2

4/ शासन सभी शासकीय सेवकों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने व्यवहार से अस्पृश्यता के सामाजिक कलंक को समाप्त करने के लिए किसी प्रकार की कोई कसर उठा नहीं रखेंगे तथा इस विषय पर शासन व्दारा समय समय पर जारी किए गए समस्त अनुदेशों का उनकी भावना के अनुरूप कड़ाई से पालन करते रहेंगे ।

(अशोक मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 5-1/77/3/1 भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 1977
9 आश्विन 1899

प्रतिलिपि :-

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल

2- राज्यपाल के सचिव,
सचिव, विधानसभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

3- मुख्य मंत्री / समस्त मंत्रीगण / समस्त राज्य मंत्रीगण
के निज सचिव / निज सहायक

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव

एस0ए0/110